



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052020-219567
CG-DL-E-27052020-219567

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1488]
No. 1488]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ठ 5, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAI STHA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

का.आ. 1655(अ)— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.361 के कि.मी. 522.420 से कि.मी.600.400तक (खुपसरवाडी से पार्डी (मक्ता) खंड) का निर्माण (चौड़ाकरने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 (ग)की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप विभागीय अधिकारी तथा भूमि अर्जन अधिकारी नांदेड को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा यातो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.361 के कि.मी. 522.420 से कि.मी.600.400 म.रा.म 2 (खुपसरवाडीसे पार्डी (मक्ता) खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नांदेड					
गांव का नाम: मुजामपेठ					
1	3248	निजी	अकृषि	0.0027000(हेक्टेयर)	0.0027000
कुल				0.0027	0.0027

[फा. सं.: NHAI/LA/NH-361/2015/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2020

S.O.1655(E)— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 in the stretch of land from Km. 522.420 on MSH 2 to Km. 600.400 Km. (Khupsarwadi to Pardi (Makta) section) in the District of Nanded in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Nanded in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 522.420 to Km. 600.400 on MSH2 (Khupsarwadi to Pardi (Makta) section) of the National Highway – 361 in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: NANDED			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nanded					
Village: Mujampeth					
1	3248	Private	Non Agricultura	0.0027000(Hectare)	0.0027000
Total				0.0027	0.0027

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.